न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

दिनांक 08.05.2026

यह प्रार्थनापत्र अभियुक्त सूरज निषाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 237/2026 धारा 4/10 गुण्डा निवारण अधिनियम. थाना गंगाघाट जिला उन्नाव के प्रकरण मे जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार उन्नाव मे निरूद्व है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार उन्नाव मे निरूद्व है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के समस्त तथ्य, अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा 20.000—रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

उन्नाव।